रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 182] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 9, 2016/ज्येष्ठ 19, 1938
No. 182] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 9, 2016/ JYAISTHA 19, 1938

भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय

(लोक उद्यम विभाग)

संकल्प

नई दिल्ली, 9 जून, 2016

सं. डब्ल्यू - 08/0005/2016-डीपीई (डब्ल्यू सी).—यह महसूस करते हुए कि देश तथा वैश्विक व्यावसायिक माहौल में केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों (सी. पी. एस. ई.) को व्यावसायिक रुप से सक्षम एवं प्रतिस्पर्धी बनना होगा तथा केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के कर्मचारियों को कार्य करने की उपयुक्त परिस्थितियों, परिलब्धियों तथा प्रतिलाभ प्रदान किए जाने होंगे ताकि वे अपने उद्यमों में बेहतर विकास, उत्पादकता एवं लाभकारिता के दिशा में प्रेरित हों, इसलिए भारत सरकार ने केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम के कार्यपालकों के वर्तमान वेतन ढांचे की समीक्षा करने तथा संशोधन करने का निर्णय लिया है।

2.1 सक्षम प्राधिकारी ने तृतीय वेतन संशोधन समिति (3सरी पीआरसी) नियुक्त करने का निर्णय लिया है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं :

अध्यक्ष : न्यायमूर्ति सतीश चन्द्रा (सेवानिवृत्त)

सदस्य : (i) श्री जुगल महापात्रा, पूर्व आई ए एस अधिकारी

(ii) प्रो. मनोज पाण्डा, निदेशक इन्स्टीच्यूट फार इकोनामिक ग्रोथ, दिल्ली

(iii) श्री शैलेन्द्र पाल सिंह, पूर्व निदेशक (मानव संसाधन), एन टी पी सी लिमिटेड

पदेन सदस्य : सचिव, लोक उद्यम विभाग, भारत सरकार

सदस्य सचिव : संयुक्त सचिव / अपर सचिव, भारत सरकार

2.2 इस समिति के नियम एवं शर्तें निम्नलिखित हैं :

2.2.1 समिति केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में निम्नलिखित श्रेणियों को वर्तमान में दिए जाने वाले वेतन, परिलब्धियों, प्रतिलाभों तथा अन्य लाभों (गैर वित्तीय लाभों सहित) को ध्यान में रखते हुए वेतनमानों, भत्तों, अनुलब्धियों तथा अन्य लाभों के ढांचे की समीक्षा करेगी तथा इनमें परिवर्ततनों का सुझाव देगी जो वांछनीय, व्यवहारिक एवं वहनीय हों :

(i) निदेशक मण्डल (बोर्ड) स्तर के पदाधिकारी

(ii) निदेशक मण्डल स्तर के नीचे के कार्यपालक

(iii) असंघबद्ध पर्यवेक्षक स्तर के कर्मचारी

2.2.2 समिति ऐसी सिफारिशें करेगी जिससे केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम आधुनिक, व्यावसायिक, उपभोक्ता अनुकूल, व्यावसायिक रुप से सफल एवं प्रतिस्पर्धी संस्थान बन सकें जो राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य के प्रति वचनबद्ध एवं जन सेवा के प्रति समर्पित हों।

2.2.3 समिति केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के उपर्युक्त पैरा 2.2.1 में उल्लिखित कर्मचारियों के श्रेणियों के लिए व्यापक वेतन पैकेज तैयार करेगी जो केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों में ढांचों, प्रणालियों तथा प्रक्रियाओं को युक्तिसंगत बनाकर केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों की विकास, उत्पादकता एवं लाभकारिता क्षमता से जुड़ी हों जिसमें इन संगठनों के प्रचालनों एवं प्रक्रियाओं में जवाबदेही, उत्तरदायित्व, अनुशासन एवं पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए नवीनतम प्रौद्योगिकी, प्रबंधन कौशल, विश्व स्तर की सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का समावेश किया गया हो।

2.2.4 केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के कार्यपालकों एवं असंघबद्ध पर्यवेक्षकों के लिए उपयुक्त वेतन एवं प्रतिपूर्ति ढांचे की कल्पना करते हुए समिति औद्योगिक महंगाई भत्ता (आई डी ए) एवं केन्द्रीय महंगाई भत्ता (सी डी ए) पैटर्न पर आधारित वर्तमान वेतनमानों के पैटर्न, जहां लागू हों, केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के 'क', 'ख', 'ग' एवं 'घ' श्रेणी के वर्तमान वर्गीकरण, केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों को दिए गए महारत्न, नवरत्न, मिनीरत्न दर्जे, घाटे/आंशिक लाभ में चल रहे केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों की समग्र स्थिति तथा उन केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों जो अपने व्यवसाय की विशेष प्रकृति के कारण लाभकारी कम्पनियां नही हैं (कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 25, या कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 8 के अन्तर्गत पंजीकृत हैं), जैसे मुद्दों को ध्यान में रखेगी।

2.2.5 समिति ऐसी सिफारिशें करेगी जिससे केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यम, लोक उद्यमों की वेशेष भूमिका, सरकार सहित स्टेक होल्डरों की मांगों एवं आशाओं, संसाधनों की कमी के कारण केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के प्रबंधन में विवेकपूर्ण वित्तीय उपाय करने की जरुरत, आर्थिक पिरिस्थितियों तथा देश में सामाजिक एवं आर्थिक विकास की जरुरतों को देखते हुए उभरते घरेलू एवं वैश्विक आर्थिक परिदृश्यों का सामना कर सकें।

2.2.6 समिति सामान्य सिद्धान्त, वित्तीय पैरामीटर तथा शर्तों सहित केन्द्रीय सरकारी लोक उद्यमों के प्रयोजनों की जांच करेगी जो उत्पादक्ता से जुड़े प्रतिलाभ स्कीमों एवं कार्य-निष्पादन से जुड़े वेतन के अपेक्षाओं, व्यवहारिक्ता तथा निरन्तरता/सुधारों से नियंत्रित हो।

2.2.7 अपनी रिपोर्ट तैयार करते समय समिति 7वें केन्द्रीय वेतन आयोग की रिपोर्ट को भी ध्यान में रखेगी।

3. समिति अपनी स्वयं की कार्य-प्रणाली तैयार करेगी जो इसे सौंपे गए कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक समझी जाए। भारत सरकार के मंत्रालय एवं विभाग तथा राज्य सरकारें समिति के ऐसी संगत सूचना तथा दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे जो समिति द्वारा मांगे जांएगे तथा जो उसे देने की स्थिति में हो या देना उनके अधिकार में हो तथा वे समिति को आवश्यक सहयोग एवं सहायता देंगे।

4. समिति सरकार को अपनी सिफारिशें इसके गठन की तिथि से छह माह के भीतर देगी तथा इसका मुख्यालय दिल्ली में होगा।

5. समिति की सिफारिशों पर सरकार का निर्णय दिनांक 01.01.2017 से प्रभावी होगा।

6. समिति को सेवाएं लोक उद्यम विभाग द्वारा प्रदान की जाएंगी।

राजेश कुमार चौधरी, संयुक्त सचिव